

उनवान

~~पक्ष पक्षी~~ ~~अभियोग~~ नाम
~~श्री (हरिपाल) मि~~
~~तह हमीरगढ~~
~~...~~ प्राप्त्र/राजस्व वाद

श्री ~~वि. न. चवठा~~ 5/0 मी. एन
~~द्वारा~~ मि ~~मंगरीप~~
~~तह हमीरगढ जिला~~
~~...~~

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
------	----------------------------------	---

122 बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो।
 पत्रावली दिनांक 22/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ

122 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप-। म प्रार्थी अंतः। लगायत 5 कि तामिल वाद तामिल प्रार्थना। जो शा. फा.। म प्रार्थी अंतः। लगायत 4 वावण्ड खयना मनु.। म प्रार्थी अंतः। लगायत 4 को अन्तिम अन्तर दिया जाकर पत्रावली दि 22/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ, भीलवाड़ा

122 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप-। म प्रार्थीगण को उप होने हेतु अन्तिम अन्तर दिया जाकर पत्रावली दि 5/4/22 को पेश

उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ, भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई। वहील पार्सी उपर
 अपार्षिण सं. 1 के विधिवत रूप
 से आवाजे लगवाई गई परन्तु कोई
 उप नही रेखा रियलि के प्री. सं. 1 के
 श. के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के
 आदेश पारित किया जाता उचित प्रतीत
 होता है। अतः अपार्षिण सं. 1 के श.
 अक. रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा
 कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाते
 हैं। सावधी पार्सी का प्र. पत्र
 111, 128 C.R. के विरुद्ध अपार्षिण
 स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक
 से लिखा जाकर शा. क्र. 1
 पत्रावली के तल सुभाट होने का खिल
 वृत्तर है।

3
 उपखण्ड अधिकारी
 हमीरगढ़ (राज.)